अपील सूचना अधिकार संख्या 170/2020 (RCMS 2020/00299) श्री रामचन्द्र पुत्र लालाराम ब्राह्मण गांव खाटां रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर बनाम उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर

25.10.2021

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी रामचन्द्र उपस्थित नहीं हुआ। **मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने** अपना प्रार्थना पत्र दिनांक 20.11.2020 से लोक सूचना अधिकारी से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत दो बिन्दुओं की सूचना चाही थी जो उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर ने उसे उपलब्ध नहीं करवाई है। इसलिए उसने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार लोक सूचना अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही करने एवं सूचना दिलवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील दिनांक 24.12.2020 को पेश की है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 20.11.2020 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निम्न सूचना चाही थी:

1 चक 33 पीएस के मुरब्बा नम्बर 63 किला नम्बर 14 ता 25 मुरब्बा नम्बर 74 किला नम्बर 1½ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14,15 मोहनलाल पुत्र चेतराम गांव खाटां तहसील रायसिंहनगर के नाम अलॉटमेन्ट मूल पत्रावली की प्रमाणित सुदा नकल।

2. चक 33 पीएस के मुरब्बा नम्बर 67 किला नम्बर 1 ता 25 गोरां देवी गांव खाटां तहसील रायसिंहनगर के आवंटन की मूल फाईल की प्रमाणित सुदा नकल।

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.12.20 12:25:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर ने पत्रांक सूकाअ/21/1859 दिनांक 18.01.2021 से अपील का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया है

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रार्थी रामचन्द्र द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र में (1) चक 33 पीएस के मुरब्बा नमबर 63 कि.न. 14 ता 25 मुरब्बा नं. 74 कि.नं. 1½ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15 मोहनलाल पुत्र चेतराम गांव खाटां तहसील रायसिंहनगर के नाम अलोटमेंट मूल पत्रावली की प्रमाणित सुदा नकल (2) चक 33 पीएस के मुरब्बा नम्बर 57 कि.न. 1 ता 25 गोरां देवी गांव खाटां तहसील रायसिंहनगर के आवंटन की मूल फाईल की प्रमाणित सूदा नकल चाही गई है।

आवेदक द्वारा चाही गई सूचना में प्रकरण संख्या, अनवान तथा निर्णय अंकित नहीं है। जिसके अभाव में वांछित रिकॉर्ड मिल नहीं रहा है। आवेदन द्वारा चाहे गये वांछित रिकॉर्ड को तलाश किया जा रहा है। आवेदक द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में प्रकरण संख्या, अनवान तथा निर्णय की प्रति उपलब्ध करवाने पर वांछित रिकॉर्ड तलाश कर अविलम्ब आवेदन को सूचना उप[illegible]वा दी जावेगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.12.20 12:25:15 IST
Reason: SelfAttested

-sd-
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7 में निम्न प्रकार से प्रावधान है:

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

धारा 7 अनुरोध का निपटारा : (1) धारा 5 की उप धारा (2)के परंतुक या धारा 6 की उप–धारा (3) के परंतुक के अधीन रहते हुए, धारा 6 के अधीन अनुरोध के प्राप्त होने पर यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, या राज्य लोक सूचना अधिकारी यथा संभव शीघ्रता से और किसी भी दशा में अनुरोध की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाए, या तो सूचना उपलब्ध कराएगा या धारा 8 और धारा 9 में विर्निदिष्ट कारणों में से किसी कारण से अनुरोध को अस्वीकार करेगा।

परन्तु जहां मांगी गई जानकारी का संबंध किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से है, वहां वह अनुरोध प्राप्त होने के अड़तालीस घंटे के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी।

चूंकि लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के धारा 6(3) के प्रार्थना पत्र पर सूचना दिये जाने अथवा न दिये जाने के सम्बन्ध में कोई निर्णय लिया है, की सूचना अपीलार्थी को दी है अथवा नहीं,? का पता नहीं चलता है। जबकि धारा 7(1) के तहत 30 दिवस में निर्णय लिया जाना आवश्यक हैं इसलिए प्रार्थी की अपील स्वीकार करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर को प्रतिप्रेषित (Remand) की जाती है और उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर को **आदेश दिया जाता है कि** अपीलार्थी चाही गई सूचनाओं के सम्बन्ध में आदेश प्राप्ति के 10 दिवस में सूचना का अधिकारी अधिनियम 2005 के प्रावधानानुसार प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओं के सम्बन्ध निर्णय करें। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर को **पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को** [illegible] **नार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे।** पत्रावली बाद त[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.12.20 12:25:15 IST
Reason: SelfAttested

यह आदेश आज दिनांक 25.10.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जाकिर हुसैन)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर